प्रेस नोट दिनांक–07.11.2023
जनपद मुजफ्फरनगर

➤ थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार–

दिनांक 06.11.2023 को थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ0नि0 श्री वरूण तेवतिया मय हमराहीगण द्वारा 01 अभियुक्त अरशद पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम देवल थाना रामराज, मुजफ्फरनगर को खड़कावाला चौराहा से अब्दुल्लापुर मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 01 कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के समबन्ध में थाना पुरकाजी पर मु0अ0सं0–289/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री देवदत्त शर्मा द्वारा की जा रही है।

➤ थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 06.11.2023 को थाना मंसूरपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0–324/23 धारा 323,504,506,332,353 भादवि में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र बाबू निवासी ग्राम जड़ौदा थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर को गुप्ता रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री लौकेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है।

➤ थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार–

दिनांक 06.11.2023 को थाना मंसूरपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0–324/23 धारा 323,504,506,332,353 भादवि में वांछित अभियुक्त आकाश उर्फ छोटू निवासी गांधीनगर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर को गुप्ता रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर तथा 01 स्विफ्ट कार बरामद की गयी। बरामदगा के समबन्ध में पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लौकेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है।

➢ **थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

दिनांक 06.11.2023 को थाना मंसूरपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री कुंवरपाल सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0–287/23 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी कस्बा छपार थाना छपार मुजफ्फरनगर को धौला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री कुवंरपाल सिंह द्वारा की जा रही है।

➢ **थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–**

दिनांक 07.11.2023 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री संदीप कुमार मय हमराहीगण द्वारा 01 अभियुक्त फारूख पुत्र किताबू निवासी ग्राम पुरबालीयान थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर को खतौला तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया जिसके समबन्ध में थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0– 375/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह द्वारा की जा रही है।

➢ **थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

दिनांक 07.11.2023 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0–419/17 धारा 25 आयुध अधिनियम में 01 वारंटी अभियुक्त अंकित पुत्र सत्यपाल कश्यप निवासी ग्राम इलाहाबास थाना भोपा को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➢ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

दिनांक 07.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री अमरेश कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0– 2769/15 धारा 308,323,504,506 भादवि में वारंटी अभियुक्त सचिन पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह श्यौराण मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0— 293/23 धारा 138 एनआई एक्ट में वारंटी अभियुक्त नईम खान पुत्र जरीफ अहमद निवासी मौ0 अम्बा विहार थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह श्यौराण मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0— 135/9/16 धारा 147,148,336,341,504,506,332 व 7 सीएल एक्ट में वारंटी अभियुक्त रमेश पुत्र बलजीत निवासी मौ0 खादरवाला फक्करशाह मस्जिद के पीछे थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री अमित कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0— 2532/9/16 धारा 7/16 पीएफ एक्ट में वारंटी अभियुक्त बृजेश पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम मलीरा थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह यादव मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0— 7659/9/22 धारा 138 एनआई एक्ट में वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मुरारीलाल निवासी मौ0 416 रामपुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–**

दिनांक 07.11.2023 के थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री गजेन्द्र कुमार मय हमराहीगण द्वारा 01 अभियुक्त सुहैल पुत्र गुलजार निवासी मौ0 पुलपार सफीपुरपट्टी कस्बा व थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को बसी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के समबन्ध में थाना बुढ़ाना पर मु0अ0सं0— 504/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री चरण सिंह द्वारा की जा रही है।

➢ थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 07.11.2023 के थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0– 498/23 धारा 342,342,504,506,308 भादवि में वांछित अभियुक्त निसार पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम बिटावदा थाना बुढ़ाना को बड़कता नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है।

➢ थाना भोपा पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 07.11.2023 के थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री बिनोद कुमार मय हमराहीगण द्वारा 01 अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम अथाई थाना भोपा को शिवमंदिर के पास ग्राम अथाई से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 21 पव्वे अवैध देशी शराब के बरामद किये गए। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भोपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0– 293/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री रहीस खान द्वारा की जा रही है।

➢ थाना छपार पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 07.11.2023 के थाना छपार पर नियुक्त उ0नि0 श्री सेन्सरपाल सिंह मलिक मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0–244/23 धारा 147,148,149,307,504,509 भादवि व 3(1)द/ध 3(2)5 एससी/एसटी अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1– सुमित पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम तेजलहेड़ा थाना छपार मुजफ्फरनगर 2– प्रिंस उर्फ बिन्नी पुत्र प्रदीप कुमार उर्फ बबलू निवासी ग्राम तेजपुर थाना भगवानपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को खाईखेडी मिल के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफतार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचे, 02 जिन्दा कारतूस 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गये। बरामदगी के समबन्ध में पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बढ़ोतरी की गयी । पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री सेन्सरपाल सिंह मालिक द्वारा की जा रही है।